



कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
आमखो, लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 474009

Website: www.gacgwalior.edu.in

e_mail: gacgwalior@gmail.com
principalgacgwa@mp.gov.in

Office : 0751- 2372802
Hospital : 0751- 2438603

क्रमांक/स्थापना/2025/2387-95

ग्वालियर, दिनांक: 17/04/25

// आवश्यक सूचना //

मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक/1421/1466060/2025/1/59 भोपाल दिनांक 15.04.2025 एवं संचालनालय आयुष म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-/2025/4-स्थापना/1441-43, दिनांक 16.04.2025 के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों की पदपूर्ति हेतु विकलांगता की सीमा के संबंध में पुनः संशोधित प्रस्ताव आने तक प्रकाशित विज्ञापनों पर आगामी आदेश तक रोक लगायी जाने के कारण दिव्यांगजन भर्ती प्रक्रिया अन्यादेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। आगामी प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार प्रस्तावित की जावेगी।

उक्त सूचना संस्थान की वेबसाइट www.gacgwalior.edu.in पर अपलोड की जा रही है।
समस्त आवेदक अवगत हों।

संलग्न:- संदर्भित पत्र।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक/स्थापना/2025/
प्रतिलिपि:-

ग्वालियर दिनांक

1. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, सामाजिक न्याय विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. माननीया आयुक्त महोदया, संचालनालय आयुष म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म.प्र. पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड़ नं. 3 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
5. डॉ. के.एल. शर्मा, प्रोफेसर एवं संयोजक दिव्यांगजन चयन एवं विज्ञापन निर्माण समिति स्थानीय महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. श्री शशांक बिरही, सहायक संचालक एवं समिति सदस्य दिव्यांगजन चयन एवं विज्ञापन निर्माण समिति कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला-ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. श्रीमान् विशेष रोजगार अधिकारी महोदय, विशेष रोजगार कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
8. श्रीमान् जिला रोजगार अधिकारी महोदय, जिला रोजगार कार्यालय ग्वालियर म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
9. आई.टी. सेल प्रभारी/सूचना पटल स्थानीय महाविद्यालय।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय ग्वालियर (म.प्र.)

16/04/2025
16/04/2025
संचालनालय आयुष, म०प्र०
(सू-तल 'डी' विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

क्रमांक/एफ- /2025/4-स्थापना / 1411 - 43 भोपाल, दिनांक: 16/04/2025
प्रति,

प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
भोपाल/ग्वालियर।

विषय:- दिव्यांगजनों की पदपूर्ति के संबंध में।
संदर्भ:- शासन पत्र क्रमांक/ 1421/1466060/2025/1/59 दिनांक 15/04/2025

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। जिसमें निर्देशित किया गया है कि प्रमुख सचिव महोदय सामाजिक न्याय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिव्यांगजनों हेतु जारी अधिसूचना में सुधार किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने एवं आपके द्वारा दिव्यांगजनों की पदपूर्ति हेतु जारी विज्ञापनो पर आगामी आदेश तक कार्यवाही रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित

(डॉ. आर.के. गुप्ता) 16/4/25
प्रोफेसर

संचालनालय आयुष म०प्र०
भोपाल, दिनांक: / /2025

पृ०क०/एफ- /2025/4-स्थापना /
प्रतिलिपि:-

1- अपर सचिव महोदय, म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।

प्रोफेसर 16/4/25

संचालनालय आयुष म०प्र०

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 142/1466060/2025/1/59,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/04/2025

आयुक्त,
आयुष, संचालनालय
भोपाल

विषय :- दिव्यांगजनों की पद पूर्ति के संबंध में।

-00-

उपरोक्त विषयांगत दिनांक 27/03/2025 को प्रमुख सचिव महोदय, सामाजिक न्याय विभाग, की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ के प्रतिनिधि द्वारा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर एवं भोपाल में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 पर की जा रही नियुक्तियों में पूर्व में म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 25/08/2018 में जारी अधिसूचना के रिमार्क कॉलम जिसमें लेख है कि दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विकलांगता अधिकतम पचास प्रतिशत की सीमा में हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित विकलांगता स्वीकार है, जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार है, का लेख किया है, उक्त अधिसूचना में रिमार्क कॉलम में उल्लेखित विकलांगता महाविद्यालय अंतर्गत समस्त प्रकार के पदों पर प्रकाशित की गई है, विकलांगता की सीमा के संबंध में पुनः संशोधित प्रस्ताव आने तक संबंधितों द्वारा किये गये विज्ञापन पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अधिसूचना में सुधार किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने एवं जारी विज्ञापनों पर आगामी आदेश तक कार्यवाही रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार मिश्र)

अपर सचिव

म.प्र. शासन, आयुष विभाग